राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2714

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

एनएमडीसी द्वारा कार्यों का विलम्बन

2714. श्री माजीद मेमनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कर्णाटक की खान से होने वाली बिक्रियों पर 80 प्रतिशत का प्रीमियम लगाने की वजह से नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी) ने दोनीमलाई में कार्यों को निलम्बित कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एनएमडीसी ने कर्णाटक में खानों की पिछली नीलामियों में प्रीमियम के रूप में 95 प्रतिशत और 105 प्रतिशत की पेशकश करते हुए भाग लिया था; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हां।

(ख): जी हां।

(ग): एनएमडीसी ने दोणीमल्लै खान के पट्टे के नवीकरण के समय 80% प्रीमियम लगाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक में याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रीमियम लगाए जाने के कर्नाटक सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया था। इस बीच, कर्नाटक सरकार ने एनएमडीसी के पक्ष में नवीकृत पट्टे को एकपक्षीय आधार पर रद्द कर दिया और साथ ही खान की नीलामी की घोषणा कर दी। एनएमडीसी ने कर्नाटक सरकार के आदेश के विरुद्ध खान मंत्रालय में पुनरीक्षण प्रधिकारी के समक्ष खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के अंतर्गत एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपनी अर्द्ध न्यायिक हैसियत से कर्नाटक सरकार के आदेश पर स्थगादेश जारी कर दिया। इस बीच खान मंत्रालय, भारत सरकार ने खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियमावली, 2015 को संशोधित करते हुए नियम 3 के उप-नियम (2) में ''लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है'' के स्थान पर नियम 4 के उप-नियम(3) में "लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए किया जाएगा'' प्रतिस्थापित कर दिया और इसे दिनांक 27.09.2019 की गजट अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695 (अ) में अधिसूचित कर दिया। इससे सरकारी उद्यमों के पट्टों का निर्बाध नवीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

****